


राजस्थान –सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एस-5/2017/ दिनांक:-

संशोधन-आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 359 दिनांक 03.04.12 एवं 428 दिनांक 24.04.12 में आंशिक संशोधन करते हुये श्री सत्यनारायण सोनी, नर्स-2 अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारा को 09 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 28.11.98 को देय होगा।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के दण्डादेश दिनांक 16.10.2007 का प्रभाव आगामी आशास्वित कैरियर प्रगति (18 वर्ष) पर पड़ेगा।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एस-5/2017/694 दिनांक:- 07/09/2017

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा/बारा।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।